कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,भोपाल (म.प्र.)
निविदा आमंत्रण सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया के उपयोग नवीन कूलर निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत क्रय किये जाने हेतु अनुभवी, प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाना है।

उक्त निविदा संबंधी विस्तृत दस्तावेज एवं निविदा की नियम एवं शर्तें माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट https://bhopal.dcourts.gov.in/#tendors तथा एमपी टेंडर पोर्टल www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है।

क्रमांक	विवरण	दिनांक एवं समय
1	निविदा प्रकाशन की तिथि	25.06.2026
2	निविदा की अंतिम तिथि एवं समय	15.07.2026 समय 23:59
3	निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	16.07.2026 समय 17:30

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,भोपाल (म.प्र.)

ई–निविदा सूचना

जिला न्यायालय भोपाल एवं तहसील न्यायालय बैरसिया के उपयोग नवीन कूलर को क्रय किये जाने हेतु दर प्राप्त करने के संबंध में ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती है–

स.क्र.	विवरण	संख्या
1	कूलर (गोदरेज, बजाज, केनस्टार, एवं सिम्फनी) फाईबर बॉडी, 100 लीटर पानी टेंक क्षमता कम आवाज तथा 3500 वर्गमीटर प्रतिघंटा की कूलिंग क्षमता की विशेषता वाला, 05 वर्ष की वारंटी मोटर पर एवं 02 वर्ष की वारंटी पंप पर एवं 01 वर्ष की कांप्रेसिव वारंटी	20 नग

Note :- Specification of items attached with tender document

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाइन वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर जमा किये जायेंगे।

2. निविदा शुल्क ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है।

3. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाईट https://bhopal.dcourts.gov.in/#tendors तथा एमपी टेंडर पोर्टल www.mptenders.gov.in से निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,भोपाल (म.प्र.)
निविदा आवेदन पत्र

1.	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का नाम एवं पता	
2	दूरभाष नम्बर/मोबाईल नम्बर	
3	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था के मालिक का नाम	
4	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का पंजी/जी.एस.टी. क्रमांक/जीएसटी अदायगी का अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र/गत वित्त वर्ष का आयकर रिटर्न प्रमाण पत्र	
5	क्या विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था भोपाल की अधिकृत संस्था है ? यदि हॉ तो विवरण दे।	
6	यदि अधिकृत विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था हो तो प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	
7	क्या शासन ने विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था को सामग्री प्रदान किये जाने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है ? यदि हॉ तो विवरण दें।	
8	विक्रेता/व्यापारी/निर्माता संस्था का बैंक का नाम/खाता क्रमांक मय आई.एफ.एस.सी. कोड सहित	

आवेदक का नाम व हस्ताक्षर

<u>कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल</u>

//<u>निविदा शर्तें</u>//

क्रमांक 5385/ भोपाल दिनांक 25-06-26

01. निविदाकार के प्रतिष्ठान का पंजीयन होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को प्रतिष्ठान का पंजीयन क्रमांक, दुकान स्थापना अधिनियम के तहत प्रमाण–पत्र, विगत 01 वर्ष का आयकर, जीएसटी पंजीयन क्रमांक अंकित करने के साथ–साथ वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) अदायगी का अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

02. इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो–निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जावेंगे।

(अ) प्रथम भाग में तकनीकी निविदा होगी। निविदा से संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है।

(ब) द्वितीय भाग में व्यवसायिक/वित्तीय निविदा फार्म होगा जिसमें दर + GST%= प्रति नग दर (कर सहित) में संबंधित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना अनिवार्य है, जिसे निम्नानुसार प्रोफार्मा में ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे:–

S.No.	Name of Items (Make & Model)	Quantity	Warranty year	Unit/Rate including all taxes, etc (RS.)
1				

03. टेण्डर शुल्क राशि रूपये **590/–जी.एस.टी.सहित** एवं ई–टेंडर में दर्शाये अनुसार सुरक्षा निधि की राशि रूपये **20,000/– (E.M.D.)** के रूप में वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा में जमा करनी होगी।

04. कोई भी निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, को होगा।

05. यदि फर्म निर्धारित अवधि में कूलर सप्लाई नहीं कर पाती है तो तथा प्रदायावधि में विस्तार के लिए अनुरोध भी नहीं करती है, तो बिना कारण बताये सक्षम अधिकारी द्वारा क्रयादेश निरस्त किया जा सकता है उक्त स्थिति में फर्म द्वारा पूर्व में जमा सुरक्षा निधि राजसात की जावेगी।

06. चूँकि यह निविदा वर्ष 2026–27 में अनुमानित संख्या के अनुसार दर निर्धारण हेतु है अतः यह आवश्यक नहीं होगा कि सफल निविदाकार को संपूर्ण सामग्री के क्रयादेश जारी किये जावेंगे। आवश्यकतानुसार सामग्री की संख्या में से आंशिक सामग्री के क्रयादेश जारी होने पर भी निविदाकार को सामग्री का प्रदाय करना अनिवार्य होगा।

07. फर्म को अपने कोटेशन में किसी एक कूलर हेतु **ब्रांड/मॉडल एवं वारंटी** का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा, जो कि न्यूनतम दर पर सप्लाई कर सके।

08. क्रय आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर फर्म को जिला न्यायालय भोपाल, जेल रोड, अरेरा हिल्स, भोपाल में कूलर सप्लाई किये जाकर उक्त के देयक की मूल प्रति मय सील एवं साइन के दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगी।

09. क्रय की गई सामग्री की वांरटी पीरियड सहित मरम्मत कार्य मौके पर (ऑनसाईट जिला न्यायालय भोपाल अथवा तहसील न्यायालय बैरसिया) जाकर संबंधित फर्म द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

10. सामग्री प्राप्त होने एवं इंस्टालेशन के उपरांत ही बिल ग्राहय किया जावेगा।

11. क्रय की जाने वाली सामग्री प्रदायगी उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने पर प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही देयक के भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा क्रय की गई सामग्री अमानक पाये जाने पर मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापस की जावेगी।

12. जो फर्म मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम में पंजीकृत प्रदायकर्ता के रूप में पंजीकृत है, उन्हें पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

13. उक्त तालिका अनुसार सामग्री कार्यालय में प्राप्त होने के 15 दिवस के पश्चात ही देयक का भुगतान किया जावेगा, किंतु आहरण एवं भुगतान प्रकिया में शासकीय व्यवधानों के कारण विलम्ब भी हो सकता है। विलम्ब के लिए पृथक से अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

14. निविदाकर्ता को उपरोक्त संपूर्ण सामग्री के लिए निविदा करना अनिवार्य है, सीमित सामग्री के लिए की गई ई–निविदा अमान्य है।

15. सप्लाई किये गये सामग्री में खराबी अथवा शिकायत होने पर उसे संबंधित फर्म द्वारा दुरूस्त/परिवर्तित किया जावेगा।

16. नियत दिनांक एवं समय के पश्चात निविदा प्राप्त होने पर विचार नहीं किया जायेगा।

17. आदेशानुसार सामग्री न्यायालय तक पहुॅचाये जाने का समस्त दायित्व निविदाकार का होगा।

18. निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गयी समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की कांट–छांठ मान्य नहीं होगी। निविदा एवं निविदा के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों में निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील होना आवश्यक है।

19. निविदा से संबंधित शर्त एवं प्रदाय किये जाने वाले सामान की सूची उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की वेबसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट https://bhopal.dcourts.gov.in/#tenders से डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है।

20 शासन द्वारा लागू जीएसटी की दरें अधिक या कम होने पर विचारणीय होगा एवं सामग्री की दरें समस्त करों सहित दी जाये।

21. निविदा खोली जाते समय सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी। जिस निविदाकर्ता द्वारा ईएमडी की राशि एवं तकनीकी बिड से संबंधित चाहे गए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे, उन निविदाकर्ताओं की निविदा पर वित्तीय बिड के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

22. निविदाओं द्वारा सामग्री की जो भी दरें दी जायेगी, वह अनुबंध अवधि तक यथावत रहेगी निविदाकारों द्वारा किसी भी वस्तु की दर बढ़ाने हेतु किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा।

23. प्रत्येक निविदाकर्ता का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसे वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते है। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव करने पर विचार नहीं किया जावेगा।

24. अन्य नियम एवं शर्ते जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है, मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगी। किसी भी विवाद के निपटारे या नियमों के निर्वचन का अधिकार, प्रधान जिला न्यायाधीश भोपाल का निर्णय अंतिम होगा एवं यह दोनों पक्षों को मान्य होगा।

25. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर के मोबाईल नम्बर 9827448177 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
भोपाल (म.प्र.)

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर, नाम एवं पताः–